

कार्यालयाध्यक्षों के लिए प्रपत्र – 2 भरने हेतु दिशा निर्देश

प्रपत्र-2 राज्य सरकार के विभाग , केन्द्र सरकार के विभाग , भारत सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार निगम आदि द्वारा भरा जायेगा। प्रपत्र-2 के कुल 36 कालम हैं। सभी प्रविष्टियाँ हिंदी यूनिकोड में आनलाइन पोर्टल पर करनी होगी। प्रारूप-2 की प्रविष्टियाँ आनलाइन प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को अपने कार्यालय के सभी पदनामों की प्रविष्टि करनी होगी। कालमों में सूचनायें किस प्रकार भरी जाये इसके लिए दिशा निर्देश निम्न प्रकार है। विभाग के नाम में कार्यालय जिस विभाग के अन्तर्गत आता है उस विभाग का नाम भरा जायेगा। कार्यालय कोड (जोकि आपको भेजे गये पत्र में दर्शाया गया है) एवं कार्यालय का पूरा नाम भरा जायेगा। कार्यालय का पता - कार्यालय का पूरा पता भरें।

कालम	दिशा निर्देश
1	क्रम संख्या 1 से प्रारम्भ करें। क्रम संख्या 1 पर कार्यालयाध्यक्ष का नाम जोकि प्रपत्र में 1 भरा गया है भरा जायेगा। क्रम संख्या 2 पर वैकल्पिक अधिकारी का नाम जोकि प्रपत्र 1 में भरा गया है भरा जायेगा। इसके बाद शेष अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रविष्टि क्रम संख्या 3 से की जायेगी।
2	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम (केवल सफाई कर्मियों के लिए इनके नाम के साथ कोष्टक में उनकी आई.डी भरें जिससे कि ड्यूटी वितरित करते समय कोई समस्या न हो) जैसे रामप्रकाश (3425)
3	अधिकारी/कर्मचारी का पूरा पद नाम भरें। अवर अभियन्ता , प्रधानाध्यापक , सहायक अध्यापक आदि
4	जूनियर हाईस्कूल , प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का डाटा फीड करते समय इस कालम में स्कूल का नाम लिखना होगा। सफाई कर्मियों के केस में किस विकास खण्ड में तैनात है उस विकास खण्ड का नाम भरें। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में अधिकारी/कर्मचारी मूल कार्यालय के अन्य तैनात है तो उसका विवरण भरें।
5	अधिकारी/कर्मचारी का मोबाइल नम्बर भरें। निर्वाचन की समाप्ति तक इस नम्बर को न बदला जाये। यदि बदला जाता है तो इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी कार्मिक को देनी होगी।
6,7,8	लिंग (पुरुष अथवा महिला भरें) अधिकारी/कर्मचारी स्थाई , अस्थायी या फिर संविदा पर है उल्लेख करें।(P/T/C), अधिकारी राजपत्रित (Gazetted) है या नहीं (Y/N)
9	भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधिकारी /कर्मचारी किस श्रेणी में आते है उल्लेख करना है। प्रथम श्रेणी ,द्वितीय श्रेणी , तृतीय श्रेणी , चतुर्थ श्रेणी
10	वर्तमान पे बैण्ड PB1- ,PB2 ,PB3 , PB4 छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01 अगस्त 2016 को क्या है भरा जायेगा।
11	वर्तमान ग्रेड पे छठवें वेतन आयोग के अनुसार 01 अगस्त 2016 को क्या है भरी जायेगी।
12	पद की ग्रेड छठवें वेतन आयोग के अनुसार (यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी को ACP का लाभ देते हुए उच्च ग्रेड पे मिल रहा है लेकिन जिस पद पर वह कार्यरत है उसका ग्रेड पे क्या है उसे भरना होगा) जैसे किसी अवर अभियन्ता की नियुक्ति 4800 ग्रेड पे में वर्ष 2000 में होती है लेकिन उसकी पदोन्नति सहायक अभियन्ता पद पर नहीं होती है लेकिन उसको सहायक अभियन्ता का ग्रेड पे 6600 वर्ष 2015 मिल जाता है लेकिन पद नाम अवर अभियन्ता ही रहता है तो उसको इस कालम में पद का ग्रेड पे 4800 भरना होगा।
13	कुल सेवा अवधि वर्ष में --अधिकारी/कर्मचारी को सेवा करते हुए 01 अगस्त 2016 को कितने वर्ष हो चुके है।
14	वर्तमान ग्रेड पे पर कितने समय से कार्यरत है 01 अगस्त 2016 तक वर्षों में भरें।
15	01 अगस्त 2016 को छठवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन कितना है
16,17, 18	यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो लेवल नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है तो इन्डेक्स नम्बर क्या है। यदि सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है सातवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन कितना है
19	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत है (कार्यालय किस विधान सभा क्षेत्र में है) भरना होगा। विधान सभा क्षेत्रों की सूचना आपके जनपद की वेबसाइट पर लोक सभा 2019 Link के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है।
20,21,22	अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निवास करता है भरना होगा। अधिकारी/कर्मचारी किस विधान सभा क्षेत्र का मूल निवासी है भरना होगा।यदि जनपद के बाहर का है तो अन्य लिखना होगा। अधिकारी /कर्मचारी का ग्रह जनपद क्या है। उत्तर प्रदेश के बाहर निवासी है तो अन्य भरें।
23	31 मई 2019 तक या उससे पूर्व सेवानिवृत्ति का विवरण भरें।
24	अध्यापकों की प्रविष्टि करते समय इस कालम में प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक के लिए T1, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के लिए T2, हाईस्कूल शिक्षक के लिए T3, इंटरमीडियेट शिक्षक के लिए T4 , डिग्री कालेज शिक्षक लिए T5 एवं अन्य शिक्षकों के लिए T6 भरा जायेगा।
25	क्या अधिकारी /कर्मचारी पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से इस जनपद में कार्यरत है (Y/N)
26	अभियुक्ति (गर्भवती महिला , प्रसूति अवकाश, दिव्यांग , बी.एल.ओ ड्यूटी , गम्भीर रूप से बीमार , ड्राइवर , स्वीपर , बैंक गार्ड आदि) भरें। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी तथा इसको निर्वाचन कार्य में व्यवधान समझा जायेगा)
27,28,29,30 ,31,32	अधिकारी/कर्मचारी का इपिक (वोटर कार्ड विवरण) भरना होगा। इपिक नम्बर क्या है किस विधान सभा क्षेत्र से इपिक जारी हुआ है उसका नम्बर एवं नाम , मतदेय स्थल (बूथ नम्बर) क्या है , वोटर लिस्ट में मतदाता क्रमांक क्या है। इपिक वर्तमान जनपद से जारी हुआ है या नहीं।
33,34,35,36	अधिकारी/कर्मचारी का बैंक खाता किस बैंक एवं किस ब्रान्च में है उसका विवरण भरे IFSC कोड के साथ भरें।

प्रपत्र 2 भरने के बाद इसका प्रिन्ट लेकर इसका मिलान मूल सूची से कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि डाटा में नहीं होनी चाहिए। डाटा फाइनल होने पर इसका प्रिन्ट लेकर इस पर फीडकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर , जांचकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर तथा कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से डाटा का शुद्धता का प्रमाण लेकर प्रभारी अधिकारी कार्मिक को उपलब्ध करायेगें